न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी विविध अपील वाद– 02/2013
शीला कुमारी वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

30.6.14 प्रशासनिक व्यस्ता के कारण आदेश विलम्ब से पारित किया जाता है।

सत्तरकटैया प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरहशेर के आँगनवाड़ी केन्द्र की सेविका/ सहायिका को चयनमुक्त किये जाने संबंधी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक– 436 दिनांक– 27.11.2008 द्वारा पारित आदेश को आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के समक्ष चुनौती दी गयी थी। आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा वाद का निष्पादन करते हुए निम्न न्यायालय आदेश को बरकरार रखा गया, जिसे सी०डब्लूयजे०सी० संख्या– 7361/2009 द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। इस रीट याचिका पर मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 02.07.2009 को पारित आदेश निम्न प्रकार है:–

In the circumstances, the appellate order dated 03-04-2009 as contained in memo no. 170 dated 10.04.2009 (annexure-8) is quashed and the learned commissioner is directed to reconsider the appeal of the petitioner is accordance with law and pass speaking order giving the reasons as early as period of two months from the date of receipt/production of a copy of this order. It goes without saying that the appellate authority must grant adequate opportunity of to be heard so the petitioner before passing final order in appeal.

सी०डब्लू०जे०सी० 7361/2009 में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपील वाद की सुनवाई कर अपील वाद 9/2009 में दिनांक– 12.09.2009 को आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा पारित आदेश निम्नप्रकार है:–

Perusal the original papers including photo copy register relating to selection process. A letter by District Programme Officer, Saharsa written to Collector, Saharsa bearing Letter no. 154 (Ka) dated 3.6.2008. It was submitted by the District Programme officer that "In view of complaint filed by BHagwati Murmu and perusal of records the selection of sevika is not correct. It appears that the dated 27.11.2008 has been issued on the strength of enquiry report that Mukhiya and others have deliberately selected Sahayika and Sevika from numerically insignificant social group which is against the guideline. But at the same time provision regarding removal of Sahakiya and Sevikas emphasises that opportunity must be given to them to explain their side. This aspect has

been completely overlooked. So, the order dated 27.11.2008 is infirm and is quashed. Accordingly Collector, Saharsa is directed to look into the role of C.D.P.O. & Panchayat Sachiv Concern. If a wrong selection of Sahayikas/Sevikas has been made and make appropriate recommendation against them if the selection has been made against norms and give opportunity to appellants to explain their position of removal is contemplated.

आवेदिका कुमारी शीला कुमारी का कहना है कि विभागीय मार्गदर्शिका 2006 के अनुरूप दिनांक– 22.03.2007 को परियोजना कार्यालय सत्तरकटैया अन्तर्गत ग्राम प्रंचायत बरहशेर के ऑगनबाड़ी केन्द्र हतु पोषक क्षेत्र के लाभार्थी एवं गोलियारी टोला चयन समति के सदस्तयों द्वारा विधिवत किया गया है। चयन समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चयन पत्र/ नामांकण पत्र दिया गया है। जिस चयन को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा मार्ग दर्शिका के विपरीत ज्ञापांक– 436 दिनांक 27.11.2008 के आदेश से चयन मुक्त कर दिया। जिसके विरूद्ध में आवेदिका आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा के समक्ष अपील दायर की। जिसे आयुक्त महोदय के द्वारा खारीज कर दिया गया। आवेदिका क्षुब्द्ध होकर आयुक्त महोदय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका संख्या– 7361/2009 दाखिल की, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2009 को आदेश पारित करते हुए पूर्व के आदेश को खारिज कर पुनः आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा को निदेश्ति किया गया कि आवेदिका के अपील आवेदन की सुनवाई कर विधि सम्मत मुखर आदेश पारित करें। तदनुरोप आवेदिका एवं अन्य द्वारा आयुक्त के न्यायालय में अपील वाद संख्या–09/09 दाखिल की जिसमें दिनांक 12.09.2009 को आदेश पारित करते हुए आवेदिका के चयन मुक्ति ओदश ज्ञापांक 436 दिनांक 27.11.2008 को निरस्त करते हुए आवेदिका के चयन को बरकरार रखते हुए जिला पदाधिकारी को ज्ञापांक 993, दिनांक 08.10.2009 के माध्यम से सूचित किया गया।

अंततः आवेदिका बिहार सरकार, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के पत्रांक 2269 दिनांक 08.08.2007 के आलोक में आम सभा के द्वारा चयनित सेविका को बहाल करते हुए केन्द्र क्रियाशील करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। जाँच दल के प्रतिवेदन के अवलोकन के स्पष्ट होता है कि ऑगनबाडी केन्द्र गोड़ियारी टोला में परिवादनी रूपम कुमारी पति– शंकर कुमार खौं के परिवाद पत्र पर जॉच दल के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परिवाद वर्ष 2004 का है। कार्रवाही पंजी संधारित मेधा सूचि के अनुसार रूपम कुमारी के ससुर जनवितरण प्रणाली के दुकानदार है। ऐसी स्थिति में सेविका पद के योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अन्य परिवाद उस केन्द्र के संबंध में प्राप्त नहीं है। कार्यवाही पंजी मेधा सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ऑगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र का बाहुल्य वर्ग पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अंकित है। संधारित मेधा सूची के अनुसार सेविका पद हेतु कुल 13 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। मेधा सूची में एक मात्र अभ्यर्थी

सुलेखा कुमारी पति– संतोष मुखिया जिसका नाम क्रमांक– 8 पर अंकित है उसे अनुपस्थित दिखाया गया। चयन समिति द्वारा सामान्य वर्ग से सेविका पद हेतु शीला कुमारी पति– सुधीर कुमार ठाकुर का चयन किया गया। जबकि उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है। अतः बाहुल्य वर्ग यानि पिछड़ा वर्ग से सेविका का चयन किया जाना है। कार्यवाही पंजी में एक मात्र अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थी सुलेखा कुमारी को अनुपस्थित दिखलाकर सामान्य वर्ग का चयन करना प्रावधान के प्रतिकूल हैं।

अतः आवेदिका के अपील आवेदन को खारीज किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि उक्त केन्द्र पर बाल विकास परियोजना पदाधिकरी, सत्तरकटैया विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में समाचार पत्रों में सूचना निकालकर नये सिरे से आम सभा कर प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तरकटैया की उपस्थिति में सेविका की चयन करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

30.6.14

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1848-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– अक्टूबर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी० डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.10.14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

ज्ञापांक 1848-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– अक्टूबर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं सहरसा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

9.10.14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

9.10.14

13